



कार्यालय आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 29वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 में गैर औद्योगिक क्षेत्र हेतु निम्न 03 प्रकरणों क्रमशः Aata Chaki, Chilly and Masala powder, grinding of spices (operating up to 100 HP Motors) for domestic uses involving dry process and without facility of packaging and marketing of product, Sports footwear, Testing/analysis laboratory (waste water generation > 10KLD) के वर्गीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया। बैठक में उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

यूकेपीसीबी/एच.ओ./29वीं बोर्ड बै0/सा0-06/2022/586.

दिनांक 12.07.2022

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तकनीकी), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री पी0 के0 जोशी, पर्यावरण अभियंता /डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता/श्री सोमपाल सिंह, पर्यावरण अभियंता/डा0 राजेन्द्र सिंह, सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी/ श्री अमित पोखरियाल, सहा0 पर्यावरण अभियंता/श्री अनुराग नेगी, सहा0 पर्यावरण अभियंता उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रुड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव